न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
1/221	17.12.2024	25.04.2025

बउनवान

01. चमेली पत्नी लालाराम जाति माली निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

वादी

बनाम

1. उषा शर्मा पत्नी स्व0 श्री घनश्याम पुत्रवधु लल्लू जाति जांगडा ब्राहाम्ण निवासी मालाखेडा, हाल निवासी 51, राष्ट्रीय नगर मीनावाला बजरी मंडी रोड पांच्यावाला जयपुर
2. दीवाकर पुत्र स्व0 घनश्याम पौत्र लल्लू निवासी हाल 51, राष्ट्रीय नगर मीनावाला बजरी मंडी रोड पांच्यावाला जयपुर
3. शिवानी पुत्री स्व0 घनश्याम पौत्री लल्लू पत्नी कुलदीप जांगिड निवासी प्लाट नं0 59 पथरोडा का बास, बख्तल की चौकी, अलवर, स्थाई निवासी मालाखेडा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 771 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 772 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 773 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 774 रकबा 0.5200 हैक्टेयर. 775 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 776 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 778 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, 785 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 1.5000 हैक्टेयर खाता संख्या नया 1044 वाके ग्राम मालाखेडा में से 5/28 हिस्सा वादिया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा 1/4 हिस्सा लल्लू पुत्र ओमकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। 1/4 हिस्सा लल्लू पुत्र ओमकार

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

की खातेदारी का वाद पत्र में विवादित है। उक्त खातेदार लल्लू का स्वर्गवास दिनांक 09.02.1992 को तथा लल्लू की पत्नी चमेली देवी का दिनांक 14.06.1995 को हो चुका है। लल्लू व चमेली के एक मात्र वारिस उनका पुत्र घनश्याम था। घनश्याम का भी दिनांक 30.04.2017 को देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लागायत 3 है। लल्लू पुत्र ओमकार द्वारा अपनी खातेदारी की वर्णित आराजी को अपने जीवनकाल से ही जुबानी तौर पर मिन वादी को विक्रय कर तयशुदा प्रतिफल लेकर बाहर चला गया था और वादिया उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। जिस तथ्य की प्रतिवादीगण को भी जानकारी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में लल्लू पुत्र ओमकार का नाम बतौर खातेदार दर्ज होने से वादी के अधिकारों का हनन होने का पूरा अन्देशा है। वादी ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 से लल्लू के हिस्से 1/4 की आराजी को वादी के नाम कराने का निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया तथा स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में लल्लू पुत्र ओमकार की खातेदारी की आराजी 1/4 हिस्सा की अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषणा कराने की अधिकारी है एव उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में लल्लू पुत्र ओमकार हिस्सा 1/4 का जो इन्द्राज है वह वादिया के अधिकारो के विरूद्ध बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबंदी है। वादिया उक्त इन्द्राज को कलजन करवा कर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद की अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वाद मे वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 771 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 772 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 773 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 774 रकबा 0.5200 हैक्टेयर. 775 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 776 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 778 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, 785 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 1.5000 हैक्टेयर खाता संख्या नया 1044 वाके ग्राम मालाखेडा में से 5/28 हिस्सा वादी तथा 1/4 हिस्सा लल्लू पुत्र ओमकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। लल्लू एवं उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। लल्लू के एकमात्र वारीस घनश्याम का भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिस प्रतिवादी 1 लगयात 3 है। विवादित आराजी मे से लल्लू पुत्र ओमकार की खातेदारी आराजी 1/4 को वादिया के नाम दर्ज कराने मे हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज किसी प्रकार का नही है। वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री करने मे प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अपने इकबाल जवाब के साथ प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अपने-अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। प्रतिवादीगण ने शपथ पत्र में वादिया के वाद को स्वीकार करने का कथन किया है। वकील वादी ने साक्ष्य दस्तावेज में EX-1 नकल हाल जमाबंदी संवत 2070-2075 तथा साक्ष्य गवाह में चमेली पत्नी स्व0 लालाराम, रामनिवास सैनी पुत्र स्व0 लालाराम, जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र स्व0 कालाराम तथा प्रहलाद पुत्र श्री कालाराम सैनी के हलफनामे पेश किये।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। वकील वादी ने लिखित बहस मे वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की लिखित बहस तथा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन पर मनन किया।

वादी ने वाद पत्र वर्णित विवादित आराजीयात मे से लल्लू पुत्र ओमकार के 1/4 हिस्से को जुबानी तौर से खरीद करने पर उक्त लल्लू के 1/4 हिस्से पर से लल्लू का नाम कलमजन कर स्वयं को खातेदार इन्द्राज कराने का अनुतोष चाहा है। वादी ने लल्लू के 1/4 हिस्से को किस प्रकार क्रय किया उसका कोई दस्तावेज यथा बयनामा, दान पत्र, इकरारनामा आदि पेश नही किया है। प्रतिवादीगण ने भी उक्त आराजी मे से लल्लू का नाम कलमजन करते हुऐ उसके स्थान पर वादी को खातेदार घोषित कराने का कथन किया है। किन्तु प्रतिवादीगण ने भी इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व नही होता है।

अतः वाद वादी दस्तावेज से साबित नही होने पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा

निर्णय आज दिनाक 25.04.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा